

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

शदी


अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

मदनलाल वगैरह

करण : वादपत्र

मुकदमा नं. 85/2011

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय गैर हाजिर। प्रकरण हाजा काफी पुराना है तथा दिनांक 01.07.2011 से लम्बित है तथा प्रकरण में वकील वादी एवं प्रतिवादी दोनो पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वकूलाय प्रकरण को चलाने में इच्छुक नहीं है। वकूलाय को गत तारीख पेशी पर उपस्थिति हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। परन्तु बावजूद हिदायत के पक्षकारान/अधिवक्ता पक्षकारान गैर हाजिर रहे। गत तारीख पेशी पर उपस्थिति हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित नहीं हुये हैं तथा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी प्रावधान आदेश 9 नियम 8 के तहत बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	